<u>न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम/विशेष न्यायाधीश, विद्युत अधिनियम अम्बेडकर नगर।</u>

C.N.R.No-UPAN010044482025

F.R.No-387-2025

रविन्द्र कुमार, अवर अभियन्ता बनाम ओमशंकर सोनी

मु0अ0सं0—384/2022

धारा—135—1बी विद्युत अधिनियम

थाना—एंटी पावर थेफ्ट, अम्बेडकर नगर

<u>14.03.2026</u>

पत्रावली आज **राष्ट्रीय लोक अदालत** में पेश हुई। वादी मय विभागीय सरकारी अधिवक्ता उपस्थित। सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्तमान मामले में वादी की तहरीर पर प्रकरण के अभियुक्त के विरूद्ध **धारा 135—1बी** भारतीय विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना **एंटी पावर थेफ्ट**, जनपद अम्बेडकर नगर में दर्ज हुई, जिसमें विवेचक द्वारा अंतिम आख्या न्यायालय प्रेषित की गयी। वादी के विभाग के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बल दिया गया कि वे विवेचक के निष्कर्ष से सहमत हैं।

वादी साक्षी अवर अभियंता ने न्यायालय में उपस्थित होकर सशपथ मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत कर कथन किया है कि मैं उपर्युक्त मुकदमें का वादी हूं, जिसमें विवेचक द्वारा अंतिम रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रेषित की गयी है। अंतिम आख्या स्वीकार किये जाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इस प्रकार मामले के वादी को उक्त अंतिम आख्या के विरूद्ध कोई प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल नहीं करना है। वादी व वादी के विभाग के अधिवक्ता विवेचक के निष्कर्ष से सहमत हैं। उन्हें अंतिम आख्या स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। अतः न्यायहित में अंतिम आख्या स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

तद्नुसार हस्तगत मामले में प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट स्वीकार किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(राम विलास सिंह)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम/
विशेष न्यायाधीश, विद्युत अधिनियम
अम्बेडकर नगर
जे0ओ0 कोड नं0—यू0पी06067

Digitally signed by RAM BILAS SINGH
Date: 2026.03.25 11:22:43 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court